

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2016

S.O.....(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Pollution Control Board, Assam, a body constituted by Government of Assam, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) consent fees;
- (b) analysis fees;
- (c) reimbursement of the expense received from Central Pollution Control Board towards National Air Monitoring Programmes, global environment monitoring system and monitoring of India National Aquatic resources and like schemes;
- (d) authorisation fees;
- (e) cess re-imburement and cess appeal fees;
- (f) fees received under the RTI Act, 2005;
- (g) public hearing fees;
- (h) interest on loans & advances given to staff of the board;
- (i) misc. income such as sale of old or scrap items, tender fees & other matters relating thereto and
- (j) interest on deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that the Pollution Control Board, Assam,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been apply for the Financial Year 2015-2016 and shall apply with respect to the Financial Years 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-20.

[Notification No. 40 /2016 F.No.196/03/2016-ITA-I]



(DEEPSHIKHA SHARMA)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

PS mg
2/6/16

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक १ जून, 2016

का .आ. _____ (अ), - आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा के 10 खण्ड के तहत प्रदत्त (46) शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिए अर्थात् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम, जोकि असम सरकार द्वारा गठित एक निकाय है को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्

- (क) सहमति शुल्क ;
- (ख) विश्लेषण शुल्क;
- (ग) नेशनल एअर मॉनिट्रिंग प्रोग्राम, भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों एवं इसी प्रकार की योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्ययों की प्रतिपूर्ति;
- (घ) प्राधिकार शुल्क;
- (ङ) उपकर प्रतिपूर्ति तथा उपकर शुल्क;
- (च) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क और अपील शुल्क;
- (छ) जन सूनवाई शुल्क;
- (ज) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए कर्ज और अग्रिम धन पर ब्याज;
- (झ) विविध आय जैसेकि पुराने तथा कबाड़ की विक्री, निविदा शुल्क, और इससे संबंधित अन्य मामले जिसमें कोई लाभ न निहित हो;
- (ञ) जमा पर ब्याज ।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी :-

- (क) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
- (ख) पूरे वित्तीय वर्षों में क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर किया करेगा।

3. यह अधिसूचना पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू हुई मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2015-2016, 2016-17, 2017-2018, 2018- 2019 और 2019-2020 के मामले में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 40 /2016, फा .सं.196/ 03 /2016-आईटीए-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।